




तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

27-2-24

अधिवक्ता प्राथमिक उपस्थित | अधिवक्ता अप्राथमिक सं 4 लडापट 6 उपस्थित | अधिवक्ता अप्राथमिक सं 4 लडापट 6 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार श्री दिनेश कुमार मेवाड़ा तहसीलदार सिमराण का स्वागतोत्सव हो चुका है, इसलिये प्रकरण को जगै चलाये जाने का औचित्य नहीं है। अधिवक्ता प्राथमिक द्वारा निवेदन किया गया कि तहसीलदार सिमराण द्वारा रिमाण्ड फावली में कार्यवाही नहीं करने पर यह सार्कट पत्र स्वागतोत्सव प्रस्तुत किया गया है।

दमने उपस्थित अधिवक्ता जज उपापेक्षा के कथन पर मन्त्र किया एवं पडावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार सिमराण श्री दिनेश कुमार मेवाड़ा का स्वागतोत्सव हो चुका है। इसलिये पार्क 3 पत्र स्वागतोत्सव सार होने होकर इसी स्थल पर धारित किये जाने योग्य है। जज प्राथमिक शिक्षण माल पुत्र नाकूलाल एवं कल्याणप्रदाप पुत्र मूलचंद जाति मेवाड़ा निवासे रैय तहसील सिमराण द्वारा मुसा. न्यायालय में प्रस्तुत सार्कट पत्र स्वागतोत्सव धारित किया जाता है। निर्णय को प्रति तहसीलदार सिमराण को किम्बाई जाने। पडावली केसल शमरा के शमरा नम्बर 2 केसल सं 2 का प्रमाणित लेख शमरा केसल को। निर्णय आज दिनांक 27-2-2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनिपादित।




 नया बुनकर
 जिला कलक्टर
 दौसा

